न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 53/2019 Gcms No. 2019/00277
दायरा तिथि : 06.08.2019
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 04.08.2021 फाईनल डिक्री दिनांक 30-6-2022
वादीगण :–

1. मदनसिंह पुत्र जोरसिंहजी
2. नरपतसिंह पुत्र जोरसिंहजी जातिगण राजपुत
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भंवरसिंह पुत्र जगतसिंहजी
2. पदमसिंह पुत्र जगतसिंहजी
3. इन्दरसिंह पुत्र जगतसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री नरपतसिंह चौहान — अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 30-6-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1110/2 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगानी 2.00 रूपये, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–01 से 03 के नाम संयुक्त तौर से खातेदारी में धारित की जा रही है, के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादीगणका 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 से 03 का 1/2 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या–01 व 03 के सम्मन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या–01 वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या–01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता द्वारा भी पर्याप्त समय अवसर के जबावदावा प्रस्तुत नहीं करने से तथा दिनांक 4.08.2021 को रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार विभाजन के लिये सहमत होने पर उपस्थित वकुलाय की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1110/2 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगानी 2.00 रूपये, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–01 से 03 के नाम संयुक्त तौर से खातेदारी में धारित की जा रही है, के संबध में में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–01 से 03 के रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार 1/2 हिस्सा वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/2 हिस्सा अनुसार पक्षकारो के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के टिनेन्सी एक्ट. की धारा 53 के तहत विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.08.2021 को जारी की गई। तथा प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार, बाली को भिजवाई जाकर विभाजन रिपोर्ट तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/287 दिनांक 21.10.2021 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कीः–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	विशेष विवरण
मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1340	0.2415	बारानी सोयम	0.96	हरा
भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्द्ररसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1110/1343	0.2415	बारानी सोयम	0.97	

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 63/2019 Gems No. 2019/00277

अनवान मदनसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह वगैरा

<u>अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी श्री नरपतसिंह चौहान एवं वकील प्रतिवादी संख्या 02, 03 श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय एवं वादी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट से दोनो पक्षो के वकुलाय एवं वादी स्वयं को किसी प्रकार का एतराज नहीं है। परन्तु हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि कानसिंह पुत्र जगतसिंह का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट में प्रतिवादी पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में बतौर सह खातेदार दर्शाया है। धारा 53 टिनेन्सी एक्ट में विधि के प्रावधानो अनुसार अधिकार अभिलेखों में दर्ज सह खातेदारो के मध्य ही विभाजन संभव नहीं है। जिससे कानसिंह पुत्र जगतसिंह प्रतिवादीगण का भाई होते हुये भी उक्त विभाजन के वाद के द्वारा वादग्रस्त भूमि में विभाजन के पश्चात् सह हिस्सेदार नहीं हो सकता। इसके साथ ही तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में मूल खसरा नंबर 1110/2 रकबा 0.50 हैक्टर नहीं रहे है, तथा उक्त खसरा के नये कम्प्युटराईज्ड खसरा नंबर 1340/1110 रकबा 0.4830 हैक्टर बने है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण 01 से 03 के सह खातेदारी दर्ज है। तथा रकबा 0.0170 हैक्टर गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ है। अतः तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1340/1110 रकबा 0.4830 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 1.93 रूपये के संबध में तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/287 दिनांक 21.10.2021 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट. 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः—

मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1340	0.2415	बारानी सोयम	0.96	हरा
भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्द्ररसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1110/1343	0.2415	बारानी सोयम	0.97	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 1.93 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] नागा)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.**

वादीगण :–

1. मदनसिंह पुत्र जोरसिंहजी
2. नरपतसिंह पुत्र जोरसिंहजी जातिगण राजपुत
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भंवरसिंह पुत्र जगतसिंहजी
2. पदमसिंह पुत्र जगतसिंहजी
3. इन्दरसिंह पुत्र जगतसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
   निवासीगण दुदनी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
4. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 53/2019 **Gcms No. 2019/00277**

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् जाहिर प्राप्त विभाजन रिपोर्ट से दोनो पक्षो के वकुलाय एवं वादी स्वयं को किसी प्रकार का एतराज नहीं है। परन्तु हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि **कानसिंह पुत्र जगतसिंह का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होते हुये तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट में प्रतिवादी पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में बतौर सह खातेदार दर्शाया है। धारा 53 टिनेन्सी एक्ट में विधि के प्रावधानो अनुसार अधिकार अभिलेखों में दर्ज सह खातेदारो के मध्य ही विभाजन संभव नहीं है। जिससे कानसिंह पुत्र जगतसिंह प्रतिवादीगण का भाई होते हुये भी उक्त विभाजन के वाद के द्वारा वादग्रस्त भूमि में विभाजन के पश्चात् सह हिस्सेदार नहीं हो सकता।** इसके साथ ही तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में मूल खसरा नंबर 1110/2 रकबा 0.50 हैक्टर नहीं रहे है, तथा उक्त खसरा के नये कम्प्युटराईज्ड खसरा नंबर 1340/1110 रकबा 0.4830 हैक्टर बने है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण 01 से 03 के सह खातेदारी दर्ज है। तथा रकबा 0.0170 हैक्टर गै.मु. रास्ता दर्ज हुआ है। अतः तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन रिपोर्ट के अनुसार रिकार्ड में दर्ज खातेदारो के मध्य विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्याय संगत है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1340/1110 रकबा 0.4830 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल लगान 1.93 रुपये के संबध में तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2021/287 दिनांक 21.10.2021 से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार टिनेन्सी एक्ट. 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:–

मदनसिंह पुत्र जोरसिंह नरपतसिंह पुत्र जोरसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	1110/1340	0.2415	बारानी सोयम	0.96	हरा
भंवरसिंह पुत्र जगतसिंह पदमसिंह पुत्र जगतसिंह इन्द्ररसिंह पुत्र जगतसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार	1110/1343	0.2415	बारानी सोयम	0.97	

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 1.93 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30-6-2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner